

आखिरी जांच: 24 सितंबर 2026

Maharashtra Building and Other Construction Workers Welfare Board (worker registration and welfare schemes)

निर्माण मजदूरों के लिए राज्य बोर्ड में पंजीकरण, जिससे कल्याण लाभ मिल सकते हैं।

क्या मिल सकता है

पंजीकरण शुल्क Rs 1 और सालाना अंशदान Rs 1 है। सूची में कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु पर Rs 5,00,000, सामान्य मृत्यु पर Rs 2,00,000, अंतिम संस्कार में Rs 10,000, और शादी व शिक्षा की मदद शामिल हैं।

किसके लिए है

महाराष्ट्र में पिछले 12 महीनों में 90 दिन से अधिक काम करने वाले 18 से 60 साल के निर्माण मजदूर पंजीकरण कर सकते हैं।

मुख्य शर्तें

- उम्र 18 से 60 साल।
- पिछले 12 महीनों में 90 दिन से अधिक काम।

दस्तावेज़

- उम्र का प्रमाण
- 90 दिन काम का प्रमाणपत्र
- निवास प्रमाण
- पहचान प्रमाण
- 3 पासपोर्ट फोटो

आवेदन कैसे करें

- बोर्ड की वेबसाइट mahabocw.in पर पात्रता जांचें।
- दस्तावेजों के साथ फॉर्म-V भरें।
- हर लाभ की राशि कल्याण योजना पेज पर है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: <https://mahabocw.in/en/workers-registration/>

आधिकारिक आवेदन: <https://iwbms.mahabocw.in>

LABHLO पेज: <https://labhlo.in/hi/schemes/maharashtra/mahabocw-registration/>



LABHLO सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।

LABHLO एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंजूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।